प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
समाचार सेवा प्रभाग : आकाशवाणी
(संदर्भ और पीपीएंडडीएकांश)

फा.सं.ससेप्र/पीपीएंडडी/AAA/दिशानिर्देश-2017 **दिनांक 28.02.2017**

<u>समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी से संबंधित विभिन्न आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कारों के लिए दिशानिर्देश।</u>

1. <u>सर्वश्रेष्ठ संवाददाता के लिए के.एल. शर्मा पुरस्कार</u>

A प्रक्रिया:

1. एक पद वाले क्षेत्रीय समाचार एकांश में नियुक्त संपादक (जो संवाददाता का भी काम करते हैं) सहित देश-विदेश में कार्यरत सभी संवाददाता इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन संवाददाताओं को पिछले दो वर्ष के दौरान यह पुरस्कार मिल चुका है वे आवेदन न करें।
2. सभी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों और समाचार सेवा प्रभाग मुख्यालय को आवेदन प्रपत्र जारी किए जाएंगे। भरे हुए प्रपत्र सभी जरूरी दस्तावेजों/ऑडियो के साथ जमा कराने होंगे। निदेशक(रिपोर्टिंग)समाचार सेवा प्रभाग मुख्यालय और विदेशी संवाददाताओं से पुरस्कार के लिए प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करेंगे। क्षेत्रीय समाचार एकांश संवाददाताओं से मिली प्रविष्टियों पर निदेशक (क्षेत्रीय समाचार इकाई) क्षेत्रीय समाचारों में उनके योगदान का और निदेशक (समाचार कक्ष) राष्ट्रीय समाचारों में उनके योगदान का आकलन करेंगे। दोनों निदेशक अपना आकलन मूल्यांकन समिति(स्क्रीनिंग कमेटी) को सौंपेगे।
3. स्क्रीनिंग कमेटी में सभी अपर महानिदेशक शामिल होंगे। अपर महानिदेशक(रिपोर्टिंग) इसके अध्यक्ष होंगे। यह समिति पैरा-बी में दिए गए मानदंडों के आधार पर अंतिम चयन समिति को दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी। निदेशक(पीपीएंडडी) समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति केवल पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों पर ही विचार करेगी, हालांकि महानिदेशक(समाचार) को विशेष मामलों में संवाददाता को नामित करने का अधिकार होगा।

4. अंतिम चयन महानिदेशक(समाचार) की अध्यक्षता वाली चयन समिति करेगी। कमेटी के सदस्य महानिदेशक, आकाशवाणी के एक प्रतिनिधि और बाहर के एक मीडिया विशेषज्ञ होंगे। निदेशक(पीपीएंडडी) कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। विशेषज्ञ कोई मीडिया प्रमुख, अवकाश प्राप्त मीडिया प्रमुख, जानेमाने/वरिष्ठ पत्रकार और समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या प्रसारण चैनल के संपादक हो सकते हैं।

B मानदंड

सर्वश्रेष्ठ संवाददाता :

1. संवाददाता का राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों और करेंट अफेयर्स कार्यक्रमों में, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टि से उल्लेखनीय योगदान होना चाहिये।
2. संवाददाता को समाचारों की रिपोर्टिंग में सुव्यवस्थित, तत्पर और तटस्थ रहना चाहिये।
3. संवाददाता ने लीक से अलग हटकर घटनाओं और स्थितियों पर रिपोर्टिंग की पहल की हो।
4. संवाददाता अपने स्पष्ट, जीवंत, रोचक और संक्षिप्त डिस्पैच में संबंधित समाचार के माहौल और अन्य उल्लेखनीय स्थितियों को व्यक्त करने में समर्थ हो।
5. संवाददाता अपनी लाइव बातचीत में संबंधित स्थिति की पैनी समीक्षा और ताजा जानकारी देने में समर्थ हो ताकि खबर और प्रामाणिक हो सके।
6. समाचार सेवा प्रभाग/क्षेत्रीय समाचार एकांश की सोशल मीडिया में योगदान।
7. संवाददाता कम से कम दस खबरें और पांच ऑडियो संलग्न करनें।

2. निर्भीक और साहसी रिपोर्टिंग

सर्वश्रेष्ठ संवाददाता पुरस्कार के लिए ऊपर दिए गए मानदंडों के अतिरिक्त:

1. संवाददाता ने किसी ऐसे क्षेत्र से रिपोर्टिंग की हो जहां जीवन को खतरे जैसी चुनौती रही हो। उदाहरण के लिए युद्ध, संघर्षग्रस्त क्षेत्र, राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा के दौरान रिपोर्टिंग।
2. संवाददाता ने किसी ऐसे क्षेत्र से रिपोर्टिंग की हो जहां सम्पर्क व्यवस्था कठिन हो और/या आसानी से आने-जाने की सुविधा न हो।
3. आसपास के या बाहरी दबावों के कारण कवरेज की मूल विषय वस्तु से कोई समझौता न किया गया हो।
4. समाचार सेवा प्रभाग/क्षेत्रीय समाचार एकांश की सोशल मीडिया में योगदान।
5. संवाददाताओं ने कम से कम दस खबरें और पांच ऑडियो संलग्न किए हों।

3. वर्ष का सर्वश्रेष्ठ समाचार संपादक

A प्रक्रिया

1. देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सभी संपादक इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। संपादकों के रूप में काम कर रहे संवाददाता भी (एक अधिकारी वाली क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में) इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। हिंदी समाचार कक्ष में काम कर रहे उन समाचार वाचक सह-अनुवादकों के नाम पर भी विचार किया जायेगा जिन्होंने संपादक के रूप में लगातार काम किया हो। उम्मीदवारों को पुरस्कार के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि महानिदेशक(समाचार) को विशेष मामलों में संपादक को नामित करने का अधिकार होगा। जिन उम्मीदवारों को पिछले दो वर्ष के दौरान पुरस्कार मिल चुका हो वे आवेदन न करें।

2. सभी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों और समाचार सेवा प्रभाग मुख्यालय को आवेदन प्रपत्र जारी किए जाएंगे। भरे गए आवेदन पत्र संबंधित दस्तावेजों के साथ स्क्रीनिंग कमेटी के मूल्यांकन के लिए जमा कराने होंगे। निदेशक(क्षेत्रीय समाचार एकांश) पुरस्कार के लिए क्षेत्रीय समाचार इकाइयों से मिली प्रविष्टियों का मूल्यांकन करेंगे, जबकि निदेशक(समाचार कक्ष) समाचार सेवा प्रभाग मुख्यालय से मिली प्रविष्टियों का आकलन करेंगे। ये आकलन स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे जायेंगे।

3. स्क्रीनिंग कमेटी में सभी अपर महानिदेशक शामिल होंगे। अपर महानिदेशक(समाचार कक्ष) इसके अध्यक्ष होंगे। यह समिति अंतिम चयन समिति को दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी। निदेशक(पीपीएंडडी) समिति के सदस्य सचिव होंगे।

4. अंतिम चयन महानिदेशक(समाचार) की अध्यक्षता वाली चयन समिति करेगी। महानिदेशक, आकाशवाणी के एक प्रतिनिधि और बाहर के एक मीडिया विशेषज्ञ समिति के सदस्य होंगे। निदेशक(पीपीएंडडी) समिति के सदस्य सचिव होंगे। बाहरी विशेषज्ञ कोई मीडिया प्रमुख, अवकाश प्राप्त मीडिया प्रमुख, जानेमाने/वरिष्ठ पत्रकार और समाचार पत्रों या पत्रिकाओं, प्रसारण चैनलों के संपादक हो सकते हैं।

B मानदंड

1. संपादक ने राष्ट्रीय /क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों या समाचार आधारित कार्यक्रमों में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टि से उल्लेखनीय योगदान किया हो।

2. संपादक ने समुचित साउंड इनपुट और समुचित खबरों/विषयों के चयन से समाचार बुलेटिन/समाचार आधारित कार्यक्रमों में सुधार के लिये योगदान किया हो। बुलेटिन की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए विचारों का प्रयोग अतिरिक्त योगदान माना जायेगा।

3. संपादक को अपने काम में सुव्यवस्थित, तत्पर और तटस्थ होना चाहिए।

4. संपादक ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समाचार बुलेटिन/समाचार आधारित कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करने की पहल की हो।

5. संपादक कम से कम अपनी दस संपादित खबरें, स्रोत के साथ संलग्न करें।

4. सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय समाचार इकाई

A प्रक्रिया

(क) देशभर में कार्यरत सभी क्षेत्रीय समाचार इकाइयां इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगी। निर्धारित आवेदन प्रपत्र सभी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों को जारी किए जायेंगे और केवल उन्हीं इकाइयों पर विचार होगा जिन्होंने पुरस्कार के लिए आवेदन किया हो। भरे हुए प्रपत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्क्रीनिंग कमेटी को आकलन के लिए सौंपे जायेंगे। जिन क्षेत्रीय समाचार एकांशों को पिछले दो वर्ष के दौरान यह पुरस्कार मिल चुका है वे आवेदन न करें।

(ख) निदेशक(क्षेत्रीय समाचार इकाई) पुरस्कार के लिए मिली सभी प्रविष्टियों का मूल्यांकन करेंगे और इन्हें स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपेंगे।

(ग) स्क्रीनिंग कमेटी में सभी अपर महानिदेशक होंगे। अपर महानिदेशक(क्षेत्रीय समाचार इकाई) इसके अध्यक्ष होंगे। समिति पैरा 'बी' में दिए गए विशेष मानदंडों के आधार पर दो नामों के एक पैनल की संस्तुति अंतिम चयन समिति से करेगी। हालांकि महानिदेशक(समाचार) के पास विशिष्ट मामलों में पुरस्कार के लिए इकाई को नामित करने का अधिकार होगा। निदेशक(पीपीएंडडी) समिति के सदस्य सचिव होंगे।

(घ) महानिदेशक(समाचार) की अध्यक्षता में चयन समिति अंतिम चयन करेगी। महानिदेशक(समाचार) के एक प्रतिनिधि और बाहर के एक मीडिया विशेषज्ञ समिति के सदस्य होंगे। निदेशक(पीपीएंडडी) समिति के सदस्य सचिव होंगे। बाहर के विशेषज्ञ कोई मीडिया प्रमुख, अवकाश प्राप्त मीडिया प्रमुख, जानेमाने/वरिष्ठ पत्रकार, और समाचार पत्रों या पत्रिकाओं और प्रसारण चैनलों के संपादक हो सकते हैं।

B मानदंड

1. समाचार बुलेटिन/समाचार आधारित कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षेत्रीय समाचार इकाई द्वारा की गई पहल।

2. क्षेत्रीय समाचार इकाई द्वारा उस केन्द्र के सामान्य फिक्सड प्वाईंट चार्ट से अलग महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर निर्धारित समाचार कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाने के लिए की गई पहल।

3. समाचार बुलेटिनों/समाचार आधारित कार्यक्रमों के श्रोताओं की संख्या बढ़ाने में क्षेत्रीय समाचार इकाई की पहल।

4. आधारभूत संरचना और तकनीकी सुधार तथा प्रोद्योगिकी के इस्तेमाल सहित क्षेत्रीय समाचार एकांश के बेहतर कामकाज के लिए किए गए प्रयास।

5. क्षेत्रीय समाचार इकाई द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में किए गए अतिरिक्त प्रयास/पहल।

6. क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा मौजूदा कार्यक्रमों का विस्तार/या नए कार्यक्रमों को शामिल करना।

7. क्षेत्रीय समाचार प्रसारण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केन्द्र के बजट के तहत निर्धारित राशि के समुचित उपयोग के लिए क्षेत्रीय समाचार इकाई के प्रयास।

8. राज्य में अंशकालिक संवाददाताओं के अधिकतम सदुपयोग और उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय समाचार इकाई के प्रयास।

9. एक संबद्ध इकाई के रूप में काम करने के प्रति क्षेत्रीय समाचार एकांश के प्रयास।

10. समाचार सेवा प्रभाग और क्षेत्रीय समाचार एकांश की सोशल मीडिया में योगदान।

वर्ष--------- के सर्वश्रेष्ठ संवाददाता/निर्भीक और साहसी रिपोर्टिंग के लिए के. एल. शर्मा पुरस्कार का आवेदन प्रपत्र

1. नाम और पद 2. वेतनमान/मूल वेतन 3. तैनाती का स्थान 4. मौजूदा स्थान पर तैनाती की तिथि 5. क्या समाचार सेवा प्रभाग/क्षेत्रीय समाचार एकांश/गैर क्षेत्रीय समाचार इकाई/नॉन स्टेशन संवाददाता हैं\ 6. इस अवधि के दौरान भेजी गई खबरों की संख्या 7. भेजे गए डिस्पैच की संख्या <u>सामान्य समाचार कक्ष के लिए</u> <u>क्षेत्रीय समाचार इकाई के लिए</u> 8. वर्ष के दौरान आपके सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवरेज के बारे वक्तव्य (एक सौ शब्दों से अधिक नहीं) 9. पुरस्कार के लिए दावे के समर्थन में वक्तव्य (दो सौ शब्दों से अधिक नहीं) 10. भेजे गए कवरेज की नमूना प्रति	

प्रमाणित किया जाता है कि उपुर्यक्त विवरण मेरी पूर्ण जानकारी में सत्य हैं।

तिथि और स्थान हस्ताक्षर

क्षेत्रीय समाचार इकाई प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर

समाचार सेवा प्रभाग : आकाशवाणी

वर्ष--------- के सर्वश्रेष्ठ समाचार संपादक के लिए आवेदन प्रपत्र

1. नाम और पद:	
2. वेतनमान/मूल वेतन:	
3. तैनाती का स्थान और मौजूदा स्थान पर तैनाती की तिथि :	
4. दैनिक बुलेटिनों की संख्या/अवधि (क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के लिए):	
5. बनाये गए समाचार आधारित कार्यक्रमों की संख्या और आवर्तन (कार्यक्रम कब-कब बनाए गए) :	
6. क्षेत्रीय समाचार इकाई में संपादकीय कार्मिक :	
7. सोशल मीडिया माध्यम में योगदान:	
8. बनाया गया विशेष कार्यक्रम:	
9. बुलेटिनों में नवीनता के लिए प्रयास:	
10. राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों या समाचार आधारित कार्यक्रमों में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टि से उल्लेखनीय योगदान :	
11. वर्ष के दौरान विशिष्ट योगदान:	

प्रमाणित किया जाता है कि उपुर्यक्त विवरण मेरी पूर्ण जानकारी में सत्य हैं।

तिथि और स्थान हस्ताक्षर

अग्रेषण प्राधिकारी क्षेत्रीय समाचार इकाई प्रमुख का हस्ताक्षर

समाचार सेवा प्रभाग : आकाशवाणी

वर्ष--------- की सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय समाचार इकाई के लिए आवेदन प्रपत्र

1. क्षेत्रीय समाचार इकाई का नाम:	
2 दैनिक बुलेटिनों की संख्या/अवधि:	
3. समाचार आधारित कार्यक्रमों की संख्या, अवधि और आवर्तन :	
4. क्षेत्रीय समाचार एकांश में कार्यरत संपादकीय कार्मिक:	
5. विचाराधीन वर्ष के दौरान बनाया किया गया विशेष कार्यक्रम :	
6. समाचार बुलेटिनों और करेंट अफेयर्स कार्यक्रमों में प्रयुक्त नवीनता लाने के प्रयास:	
7. विचाराधीन वर्ष के दौरान क्षेत्रीय समाचार एकांश में आधारभूत संरचना में सुधार:	
8. सोशल मीडिया माध्यम में योगदान:	
9. वर्ष के दौरान कोई अन्य उपलब्धि/ योगदान:	

प्रमाणित किया जाता है कि उपुर्यक्त विवरण मेरी पूर्ण जानकारी में सत्य हैं।

स्थान क्षेत्रीय समाचार इकाई प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर तिथि

प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
समाचार सेवा प्रभाग : आकाशवाणी
(संदर्भ और पीपीएंडडी एकांश)
नव प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली

फा.सं.ससेप्र/पीपीएंडडी/AAA/एनआर/दिशानिर्देश-2017 **दिनांक 12.04.2017**

विषय : आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत 'सर्वश्रेष्ठ समाचार वाचक पुरस्कार' के लिए दिशानिर्देश।

A यह पुरस्कार समाचार सेवा प्रभाग और क्षेत्रीय समाचार एकांशों में कार्यरत किसी भी भाषा के, जिनमें समाचारों का प्रसारण होता है, नियमित समाचार वाचकों/समाचार वाचक सह-अनुवादकों के लिए होगा। पुरस्कार राशि दस हजार रूपये होगी।

1. समाचार कक्ष (सामान्य समाचार कक्ष/हिंदी समाचार कक्ष), भाषा इकाइयों और क्षेत्रीय समाचार एकांशों से प्राप्त प्रविष्टियों की संवीक्षा क्रमश: निदेशक(समाचार कक्ष), निदेशक (भारतीय भाषा) और निदेशक(क्षेत्रीय समाचार एकांश) द्वारा की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर बाहरी विशेषज्ञ की सेवाएं भी ली जा सकती हैं।
2. निदेशक(समाचार कक्ष)/निदेशक(भारतीय भाषा)/क्षेत्रीय समाचार एकांशों के प्रभारी 'सर्वश्रेष्ठ समाचार वाचक पुरस्कार' हेतु पैनल बनाने के लिए समुचित जांच-परख के बाद समाचार वाचकों/समाचार वाचक-सह-अनुवादकों के नाम भेज सकते हैं।
3. केवल नियमित समाचार वाचक/समाचार वाचक-सह-अनुवादक पुरस्कार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे और द्वितीय/संयुक्त विजेता का विकल्प नहीं होगा।
4. किसी वर्ष विशेष का पुरस्कार विजेता अगले वर्ष के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।
5. निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां स्वीकार नहीं की जायेंगी।
6. 'सर्वश्रेष्ठ समाचार वाचक पुरस्कार' के लिये दिशानिर्देश वर्ष 2017 से प्रभावी होंगे।
7. समीक्षा अवधि कैलेण्डर वर्ष होगी।
8. नामों की अनुशंसा करने वाला प्राधिकारी सुनिश्चित करेगा कि प्रविष्टियां पूर्णरूप से सही हों।
9. प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि समाचार वाचक/समाचार-वाचक-सह अनुवादक से इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की चूक न हुई हो।

B प्रक्रिया

क्र.सं.	
1	देशभर में कार्यरत सभी नियमित समाचार वाचक/समाचार वाचक-सह अनुवादक इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।
2	निदेशक(पीपीएंडडी) द्वारा अनुलग्नक 'ए' समाचार सेवा प्रभाग मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय समाचार एकांशों में आवेदन प्रपत्र जारी किए जाएंगे। आवेदक द्वारा दिए गए अन्य दस्तावेजों जैसे आलेख और ऑडियो के साथ भरे हुए आवेदन प्रपत्र की संवीक्षा स्थिति के अनुरूप निदेशक(समाचार कक्ष)/निदेशक(भारतीय भाषा)/निदेशक(क्षेत्रीय समाचार एकांश) द्वारा मानदंडों और पैरा 'सी' और 'डी' में उल्लिखित अंक प्रदान करने की व्यवस्था के अनुरूप की जायेगी।
3	स्क्रीनिंग कमेटी निदेशक(समाचार कक्ष)/निदेशक(भारतीय भाषा)/निदेशक(क्षेत्रीय समाचार एकांश) की अनुशंसाओं के आधार पर पांच समाचार वाचकों/समाचार वाचक-सह अनुवादकों का एक पैनल तैयार करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख महानिदेशक(समाचार होंगे)। अपर महानिदेशक(समाचार कक्ष)/अपर महानिदेशक(क्षेत्रीय समाचार एकांश), निदेशक(समाचार कक्ष), निदेशक(भारतीय भाषा और निदेशक क्षेत्रीय समाचार एकांश स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होंगे तथा निदेशक (पीपीएंडडी) इसके संयोजक होंगे। आवश्यकता पड़ने पर महानिदेशक(समाचार) एक से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं के जानकार किसी विशेषज्ञ को कमेटी के सदस्य के रूप में नामित कर सकते हैं। बाहरी विशेषज्ञ सेवारत/अवकाश प्राप्त मीडियाकर्मी, जानेमाने/वरिष्ठ पत्रकार और/या समाचार पत्र या पत्रिका, प्रसारण चैनल के संपादक हो सकते हैं। यदि कमेटी को अधिक भाषाओं की संवीक्षा करनी है तो विशेषज्ञ एक से अधिक हो सकते हैं। विशेषज्ञों को वार्ता और करेंट अफेयर्स कार्यक्रमों के वार्ताकारों के लिए निर्धारित मानदेय दिया जा सकता है। विशेष स्थितियों में महानिदेशक(समाचार) पुरस्कार के लिए समाचार वाचकों/समाचार वाचक सह-अनुवादकों के नामों की अनुशंसा कर सकते हैं। अंतिम चयन के लिए महानिदेशक(आकाशवाणी) को पांच समाचार वाचकों/समाचार वाचक-सह अनुवादकों के नामों का पैनल भेजा जायेगा।

C मानदंड

क्र.सं.	
1	समाचार वाचक/समाचार वाचक-सह अनुवादक ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों, फीचर और करेंट अफेयर्स कार्यक्रमों में उल्लेखनीय योगदान किया हो।
2	समाचार वाचक/समाचार वाचक-सह अनुवादक को समाचार वाचन, अनुवाद, एंकरिंग में सुव्यवस्थित, गतिशील, तत्पर और तटस्थ होना चाहिए।

3	समाचार वाचक/समाचार वाचक-सह अनुवादक को नवीनतम संचार उपकरणों की समुचित जानकारी हो।
4	समाचार वाचक/समाचार वाचक-सह अनुवादक के समाचार बुलेटिन और करेंट अफेयर्स कार्यक्रमों की प्रस्तुति में स्फूर्ति और गतिशीलता होनी चाहिए।
5	अन्य विशिष्ट कार्य।

D अंक प्रदान करने की व्यवस्था

निदेशक(समाचार कक्ष), निदेशक(भारतीय भाषा), निदेशक(क्षेत्रीय समाचार एकांश), स्थिति के अनुरूप, प्रत्येक मामले में शून्य से लेकर पांच तक के पैमाने पर इन मानदंडों के आधार पर प्रविष्टियों का मूल्यांकन करेंगे।

अधिकतम अंक =5X10=50.

1. समाचार वाचन/अनुवाद में समाचारों की समझ और तटस्थता।
2. स्वर की गुणवत्ता।
3. अनुवादित समाचारों की संपादकीय गुणवत्ता योग्यता।
4. समाचार आधारित कार्यक्रमों में योगदान।
5. समाचार- प्रस्तुतिकरण।

E स्क्रीनिंग कमेटी

उपर्युक्त अंक योजना के आधार पर महानिदेशक(समाचार) की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी पांच लोगों का पैनल तैयार करेगी। जिसे अंतिम चयन के लिए महानिदेशक(आकाशवाणी) को अग्रसारित किया जायेगा।

अनुलग्नक-A

'सर्वश्रेष्ठ समाचार वाचक पुरस्कार' के लिए आवेदन प्रपत्र

(समाचार वाचकों/समाचार वाचक सह अनुवादकों द्वारा भरा जाना है) 1. आवेदक का नाम : 2. कार्यालय/क्षेत्रीय समाचार इकाई का नाम: 3. आरंभिक नियुक्ति की तिथि और वर्तमान तैनाती स्थल, तिथि के साथ: 4. तैयार किए गए/अनुवादित विशिष्ट समाचारों की संख्या : 5. समाचार आधारित कार्यक्रमों में योगदान: 6. समाचार वाचक/समाचार वाचक सह अनुवादक द्वारा पढ़े गए/एंकरिंग किए गए विशेष कार्यक्रमों/बुलेटिनों का विवरण: 7. वर्ष के दौरान समाचार वाचक/समाचार वाचक सह अनुवादक का कोई अतिरिक्त योगदान : 8. समाचार वाचक/समाचार वाचक सह अनुवादक द्वारा पुरस्कार के लिए अपने दावे के समर्थन में वक्तव्य(अधिकतम दो सौ शब्दों में) : **संलग्नक :** 1) समाचार वाचक सह अनुवादक द्वारा अनुवादित पांच चयनित न्यूज़ आइटम, अंग्रेजी मूल प्रति के साथ। 2) समाचार वाचक सह अनुवादक द्वारा पढ़े गए पांच चयनित बुलेटिन/न्यूज आइटम/ करेंट अफेयर्स कार्यक्रम की प्रस्तुति ऑडियो ।	

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचनाएं मेरी पूर्ण जानकारी में सत्य हैं।

तिथि व स्थान

समाचार वाचक/समाचार वाचक सह अनुवादक का हस्ताक्षर

अग्रेषण प्राधिकारी/क्षेत्रीय समाचार इकाई प्रमुख की संस्तुति

****

प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
समाचार सेवा प्रभाग : आकाशवाणी
(संदर्भ एकांश)
नव प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली

फा.सं.ससेप्र/संदर्भ/AAA/दिशानिर्देश-2017 **दिनांक 27.03.2017**

विषय : <u>आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत वर्ष के 'सर्वश्रेष्ठ अंशकालिक संवाददाता पुरस्कार' के लिए दिशानिर्देश।</u>

A पुरस्कारों की संख्या : क्षेत्रवार छः पुरस्कार होंगे। प्रदेशों की राजधानी स्थित क्षेत्रीय समाचार एकांशों को अनुलग्नक-ए में उल्लिखित विभिन्न ज़ोन में रखा गया है।

B राशि : प्रत्येक पुरस्कार में प्रशस्ति-पत्र और ट्रॉफी के साथ दस हजार रूपये की राशि।

1) प्रत्येक ज़ोन में आने वाले क्षेत्रीय समाचार एकांश समुचित जांच परख के बाद दो नामों का पैनल पुरस्कार के लिए भेज सकते हैं। अंतिम चयन महानिदेशक(समाचार), आकाशवाणी का होगा।

2) कोई द्वितीय/संयुक्त विजेता नहीं होगा।

3) किसी एक वर्ष का विजेता अगले वर्ष पुरस्कार के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।

4) अंतिम तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टि स्वीकार्य नहीं होगी।
5) वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंशकालिक संवाददाता पुरस्कार के लिए संशोधित दिशानिर्देश वर्ष 2017 से प्रभावी होंगे।

6) समीक्षा अवधि कैलेण्डर वर्ष होगी।

C प्रक्रिया

1. देशभर में कार्यरत सभी अंशकालिक संवाददाता इस पुरस्कार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

2. प्रत्येक ज़ोन की राजधानी स्थित एक क्षेत्रीय समाचार एकांशों को नोडल क्षेत्रीय समाचार एकांश बनाया जायेगा और इस नोडल एकांश के प्रभारी क्षेत्रीय समाचार एकांशों से मिली अनुशंसाओं को आगे बढ़ायेंगे।

प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा आवेदन-पत्र अनुलग्नक 'बी' 1 में उल्लिखित सभी जिलों के अंशकालिक संवाददाताओं को वितरित किए जाएंगे। राजधानी स्थित क्षेत्रीय समाचार एकांश के प्रमुख निर्धारित मानदंडों तथा पैरा 'डी' और 'ई' में उल्लिखित अंक व्यवस्था के आधार पर भरे हुए आवेदन पत्रों की जांच करेंगे और समुचित औचित्य के साथ 3 नामों के पैनल की अनुशंसा नोडल एकांश के प्रभारी को भेजेंगे। क्षेत्रीय समाचार एकांश प्रमुख प्रत्येक अनुशंसित उम्मीदवारों के लिए अनुलग्नक 'बी' 2 के अनुरूप प्रपत्र भर कर उनकी फाइल की हुई दो चुनी हुई खबरों और दो डिस्पैचों के साथ नोडल अधिकारी को भेजेंगे, जिसे बाद में चयन समिति को भेजा जायेगा। यदि किसी भी उम्मीदवार से आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो क्षेत्रीय समाचार एकांश के प्रभारी पुरस्कार के लिए किसी अंशकालिक संवाददाता को, उसकी दो खबरों और दो डिस्पैचों के साथ, नामित कर सकते हैं।

4) जोनल क्षेत्रीय समाचार एकांश के प्रभारी की अध्यक्षता में **स्क्रीनिंग कमेटी** अपने-अपने ज़ोन से पुरस्कार के लिए दो अंशकालिक संवाददाताओं के नामों के संस्तुति कर सकती हैं। नोडल अधिकारी, केन्द्र का एक नामित व्यक्ति और उस ज़ोन के एक या अधिक क्षेत्रीय भाषाओं के जानकार विशेषज्ञ स्क्रीनिंग कमेटी के अन्य सदस्य होंगे। बाहरी विशेषज्ञ उस क्षेत्र की भाषा और भाषाओं के ज्ञाता सेवारत/अवकाश प्राप्त मीडियाकर्मी, जानेमाने/वरिष्ठ पत्रकार और/या समाचार पत्र या पत्रिका, प्रसारण चैनल के संपादक हो सकते हैं। यदि समिति को एक से अधिक भाषाओं के उम्मीदवारों पर विचार करना है तो विशेषज्ञों की संख्या एक से अधिक हो सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी पैरा 'डी और 'ई' में उल्लिखित मानदंडों और अंक योजना के आधार पर उम्मीदवारों की अनुशंसा करेगी। प्रत्येक बाहरी विशेषज्ञ को संबंधित आकाशवाणी केन्द्र के पीपी एंड एसएस सब-हेड से दो हजार पांच सौ रूपये का मानदेय दिया जा सकता है।

5) महानिदेशक(समाचार) की अध्यक्षता वाली चयन समिति ज़ोनल क्षेत्रीय समाचार इकाइयों से मिली अनुशंसाओं के आधार पर छः विभिन्न ज़ोन के लिए छः अंशकालिक संवाददाताओं का अंतिम चयन करेगी। अपर महानिदेशक(क्षेत्रीय समाचार एकांश), निदेशक(क्षेत्रीय समाचार एकांश) समिति के सदस्य होंगे और निदेशक पीपी एंड डी इसके संयोजक होंगे। **महानिदेशक(समाचार) विशेष मामलों में पुरस्कार के लिए अंशकालिक संवाददाता को नामित भी कर सकते हैं।**

D मानदंड

1. अंशकालिक संवाददाता ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों, फीचर और करेंट अफेयर्स कार्यक्रम तथा आकाशवाणी की सोशल मीडिया में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टि से उल्लेखनीय योगदान किया हो।

2. अंशकालिक संवाददाता को रिपोर्टिंग में सुव्यवस्थित, तत्पर और तटस्थ होना चाहिए।

3. अंशकालिक संवाददाता ने लीक से अलग हटकर घटनाओं और स्थितियों पर रिपोर्ट देने की पहल की हो।

4. अंशकालिक संवाददाता ने ज़मीनी स्तर पर विकासात्मक मुद्दों, सरकारी पहलों, नवाचारों पर स्टोरी फाइल की हो।

5. अंशकालिक संवाददाता को स्टोरी फाइल करने की प्रक्रिया में नवीनतम संचार उपकरणों की जानकारी होनी चाहिए।

6. अंशकालिक संवाददाता ने क्षेत्रीय समाचार एकांशों को लिखित रिपोर्ट भेजने के अलावा नियमित रूप से वॉयस डिस्पैच और ऑडियो बाइट भेजे हों।

7. अंशकालिक संवाददाता का सोशल मीडिया में योगदान होना चाहिये।

E अंक योजना

राजधानी स्थित क्षेत्रीय समाचार एकांश:

क्षेत्रीय समाचार एकांश प्रत्येक मामले में शून्य से पांच तक के पैमाने पर इन मानदंडों के आधार पर प्रविष्टियों का आकलन करेंगे।

अधिकतम अंक = 5x10=50.

1. जिले की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी क्षेत्रीय समाचार एकांश को देते रहना।

2. समाचारों की समझ और रिपोर्टिंग में तटस्थता।

3. फाइल की गई खबरों की संपादकीय और विषयगत गुण्वत्ता।

4. फाइल की गई विशिष्ट खबरें।
5. क्षेत्रीय समाचार एकांश को समाचार आधारित कार्यक्रमों में योगदान।
6. फाइल किये गये वॉयस डिस्पैच--- गुणवत्ता और संख्या

7. फाइल किये गये साउंड बाइट।
8. नवीनतम संचार उपकरणों की जानकारी।
9. सोशल मीडिया माध्यम में योगदान।
10. कोई विशेष योगदान।

नोडल क्षेत्रीय समाचार एकांशों की स्क्रीनिंग कमेटी

A संबंधित राजधानी स्थित क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा आकलन।
अधिकतम अंक = 50.

B कमेटी द्वारा खबरों और सांउड इनपुट की विषयगत एवं प्रस्तुतिगत समीक्षा।

अधिकतम अंक = 50.

A+B= 100

****

अनुलग्नक 'ए'

विभिन्न ज़ोन और इनके तहत आने वाले क्षेत्रीय समाचार एकांशों की सूची :

क्र.सं.	**ज़ोन**	**ज़ोन के नोडल क्षेत्रीय समाचार एकांश का नाम**	**क्षेत्रीय समाचार एकांश**
1	उत्तरी ज़ोन	श्रीनगर	चंडी़गढ़, देहरादून, जम्मू, लेह, शिमला और श्रीनगर
2	पूर्वी ज़ोन	कोलकाता	कटक, कोलकाता, पटना, पोर्टब्लेयर, रांची, संबलपुर और कुर्सियांग
3	पश्चिमी ज़ोन	मुंबई	अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई, औरंगाबाद, पणजी, नागपुर, पुणे और भुज
4	दक्षिणी ज़ोन	चेन्नई	बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुद्दुचेरी, तिरूवनंतपुरम् धारवाड़, त्रिची, कालिकट और विजयवाड़ा
5	मध्य ज़ोन	भोपाल	भोपाल, लखनऊ, रायपुर, गोरखपुर और इंदौर
6	पूर्वोत्तर ज़ोन	गुवाहाटी	अगरतला, आइज़ॉल, गंगतोक, गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, शिलांग और डिब्रूगढ़

अनुलग्नक 'बी-1'

सर्वश्रेष्ठ अंशकालिक संवाददाता पुरस्कार के लिए आवेदन प्रपत्र(अंशकालिक संवाददाता द्वारा भरा जाये)

1. नाम :	
2. जिला :	
3. काम शुरू करने की तिथि :	
4. आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांशों को संबंधित वर्ष के दौरान फाइल की गई स्टोरी की संख्या :	
5. आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांशों को भेजे गए वॉयस डिस्पैच की संख्या :	
6. आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांशों को भेजी गई सांउड बाइट की संख्या :	
7. आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांशों को भेजी गई विशिष्ट खबरों की संख्या :	
8. आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को फाइल की गई खबरों/वॉयस कास्ट/साउंट बाइट की संख्या :	
9. आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांशों के समाचार आधारित कार्यक्रमों में योगदान :	
10. सोशल मीडिया में योगदान :	
11. संबंधित वर्ष में अंशकालिक संवाददाता का कोई अतिरिक्त योगदान :	

प्रमाणित किया जाता है कि दिया गया विवरण मेरी पूर्ण जानकारी में सत्य है।

तिथि और स्थान

अंशकालिक संवाददाता का हस्ताक्षर

******

अनुलग्नक 'बी-2'

आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश प्रमुख का अनुशंसा-प्रपत्र

"सर्वश्रेष्ठ अंशकालिक संवाददाता" पुरस्कार के लिए (क्षेत्रीय समाचार इकाई प्रमुख द्वारा भरा जायेगा)

1. अंशकालिक संवाददाता का नाम : 2. जिला : 3. अनुलग्नक 'बी' 1 (संलग्न) में अंशकालिक संवाददाता द्वारा दी गई जानकारी पर टिप्पणी: 4. अंक योजना के अनुसार उम्मीदवार को मिले अक: 5. अंशकालिक संवाददाता के समग्र आचरण पर टिप्पणी : संलग्नक (दो चुने हुए आलेख और दो वॉयस कास्ट) ------------------ क्षेत्रीय समाचार एकांश प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर	

******